उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
14 – अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ – 226001
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
14- ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW-226001

पत्र सं0: 4142–मा0सं0–03/उनिलि/2012–5(20) मा0सं0–03/2006 दिनांक: अक्टूबर 08, 2012

"कार्यालय ज्ञाप"

निगम के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 2876–मा0सं0–03/5(20)मा0सं0–03/2006, दिनांक: 07.09.2012 द्वारा प्रोन्नति/सीधी भर्ती से नियुक्त अवर अभियन्ता (वै0 एवं यां0) की ज्येष्ठता सूची अनन्तिम रूप से घोषित करते हुये दिनांक: 22.09.2012 तक आपत्तियाँ आमंत्रित की गयी थी। जिसके परिप्रेक्ष्य में कतिपय अवर अभियन्ताओं ने अपनी आपत्तियाँ प्रेषित की हैं। आपत्तियों का निस्तारण निम्नवत् हैं:–

नाम (सर्वश्री)	मुख्य/समान प्रकार की आपत्तियों का संकलित संक्षिप्त विवरण	निस्तारण टिप्पणी
दिनेश कुमार, ह0गंज	1–जिन अवर अभियन्ताओं की प्रशि0अवधि विस्तारित की गयी है उनमें कुछ को प्रार्थी से उच्चतर स्तर पर वरि0 प्रदान की गयी है जबकि कुछ अवर अभियन्ताओं को निम्नतर स्तर पर वरिष्ठता प्रदान की गयी है। अतः प्रशिक्षण अवधि विस्तारित सभी अवर अभियन्ताओं को निम्नतर स्तर पर वरिष्ठता प्रदान की जाये।	1– अवर अभियन्ता (संवर्ग) में वरिष्ठता का निर्धारण, अवर अभियन्ता (सा0श्रे0) में की गयी नियुक्ति तिथि (नियमितीकरण आदेश की तिथि) के कम में तथा एक ही नियुक्ति आदेश से नियुक्त अवर अभियन्ताओं की पारस्परिक वरिष्ठता, सेवा आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गयी श्रेष्ठता सूची (Merit List) के आधार पर निर्धारित की गयी है। उपरोक्तानुसार वरिष्ठता सूची में जिन अवर अभियन्ताओं को श्री दिनेश कुमार से उच्चतर स्तर पर वरि0 प्रदान की गयी है वह श्रेष्ठता सूची (Merit List) में श्री दिनेश कुमार से या तो उच्चतर स्तर पर है या अवर अभियन्ता (सा0श्रे0) के पद पर पहले नियुक्त हुए हैं। इसी प्रकार जिन अवर अभियन्ताओं को निम्नतर स्तर पर वरिष्ठता प्रदान की गयी है वह श्रेष्ठता सूची (Merit List) में श्री दिनेश कुमार से या तो निम्नतर स्तर पर है या अवर अभियन्ता (सा0श्रे0) के पद पर बाद में नियुक्त हुए हैं।
	2–वर्ष 2001 में नियुक्त अवर अभियन्ताओं को वर्ष 2001 से वरि0 प्रदान की गयी हैं अतः इन्हें भी वर्ष 2006 से वरि0 प्रदान की जाये।	2–अन्तिम वरिष्ठता सूची के स्तम्भ–2 में इंगित Seniority No. का अभिप्राय वरिष्ठता कमांक से है न कि वरिष्ठता से।
श्रवण कुमार पारीछा, राजेश कुमार मौर्य, पारीछा	1–जिन अवर अभियन्ताओं की प्रशि0अवधि विस्तारित की गयी हैं उन्हें सूची में नीचे रखा जाय।	1– अवर अभियन्ता (संवर्ग) में वरिष्ठता का निर्धारण, अवर अभियन्ता (सा0श्रे0) में की गयी नियुक्ति तिथि (नियमितीकरण आदेश की तिथि) के कम में तथा एक ही नियुक्ति आदेश से नियुक्त अवर अभियन्ताओं की पारस्परिक वरिष्ठता, सेवा आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गयी श्रेष्ठता सूची (Merit List) के आधार पर निर्धारित की गयी है। उपरोक्तानुसार वरिष्ठता सूची में जिन अवर अभियन्ताओं को श्री श्रवण कुमार एवं श्री राजेश कुमार मौर्य से उच्चतर स्तर पर वरि0 प्रदान की गयी है वह श्रेष्ठता सूची (Merit List) में श्री श्रवण कुमार एवं श्री राजेश कुमार मौर्य से या तो उच्चतर स्तर पर है या अवर अभियन्ता (सा0श्रे0) के पद पर पहले नियुक्त हुए हैं। इसी प्रकार जिन अवर अभियन्ताओं को निम्नतर स्तर पर वरिष्ठता प्रदान की गयी है वह श्रेष्ठता सूची (Merit List) में श्री श्रवण कुमार एवं श्री राजेश कुमार मौर्य से या तो निम्नतर स्तर पर है या अवर अभियन्ता (सा0श्रे0) के पद पर बाद में नियुक्त हुए हैं। श्री श्रवण कुमार एवं श्री राजेश कुमार मौर्या की नियुक्ति, आदेश सं0–3436 दि0–15.11.2007 द्वारा वर्ष 2007 में हुई जिसमें इनके नाम कमशः कमांक 148 तथा 142 पर अंकित हैं। प्रत्यावेदन में उल्लिखित अन्य कार्मिकों की भी नियुक्ति इसी आदेश से की गयी है। अतः श्री श्रवण कुमार एवं श्री राजेश कुमार मौर्या एवं प्रत्यावेदन में उल्लिखित अन्य कार्मिकों की पारस्परिक वरि0 का निर्धारण, सेवा आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गयी श्रेष्ठता सूची (Merit List) के कम में किया गया है।

रमा कान्त यादव, ओबरा	प्रार्थी एवं अन्य तीन अवर अभि0 के वरि0 अन्य सभी अवर अभि0 से नीचे निर्धारित की गयी हैं, परन्तु जिन अवर अभि0 की प्रशिक्षण अवधि 1 माह व 2 माह विस्तारित की गयी है, उनकी वरि0 प्रभावित नहीं हुई हैं।	1–श्री रमाकान्त यादव व अन्य तीन अवर अभियन्ताओं की नियुक्ति, आदेश सं0–1734, दि0–19.07.2008 द्वारा वर्ष 2008 में की गयी है परन्तु जिन अवर अभियन्ताओं की प्रशिक्षण अवधि एक माह व दो माह के लिए बढ़ाई गयी थी उनकी अवर अभियन्ता (सा0श्रे0) के पद पर नियुक्ति श्री रमाकान्त यादव व अन्य तीन अवर अभियन्ताओं के नियुक्ति के पूर्व ही अर्थात् दि0: 15.11.2007 को आदेश सं0–3436 दि0–15.11.2007 द्वारा की जा चुकी थी। अतः श्री यादव व अन्य अवर अभि0 की अवर अभियन्ता (सा0श्रे0) के पद पर बाद में नियुक्ति होने के कारण इन्हें बाद में नियमानुसार वरिष्ठता प्रदान की गयी है।
लोकेश कुमार एवं 5 अन्य, हर0गंज, पंकज राव, ओबरा एवं 17 अन्य, अभय नाथ चौधरी, ओबरा प्रमोद कुमार देवांगन, पारीछा, राज कुमार, पारीछा राजेश कुमार, पारीछा, गणेश प्रसाद शर्मा, पनकी आशीष कुमार शुक्ला, पनकी, मिथिलेश कुमार, पनकी, सुनील कुमार सचान, पनकी, प्रशान्त वर्मा, पनकी, अरविन्द्र यादव, पनकी	प्रार्थीगणों की अवर अभियन्ता प्रशिक्षु (ई0 एण्ड एम0) के पद पर नियुक्ति वि0से0आ0 के विज्ञापन सं0–03/वि0से0 आ0/98 के सन्दर्भ में उ0प्र0रा0वि0उ0 नि0लि0 में चयनित 155 अभ्यर्थियों के आदेश सं0 90–अ0प्र0–02/उ0नि0लि0– 2001–एन0जी0/2001 दि0 जनवरी 2001 तथा शेष 153 अभ्यर्थियों के आदेश सं0 1124/मा0सं0–03/उ0नि0लि0/2006–5(7)/मा0सं0(03)/2001 दि0 28.04.2006 के तहत ह0ता0परि0 अलीगढ़ में वर्ष 2006 में की गयी है। 1–एक ही चयन समिति द्वारा चयनित प्रार्थी की वरि0 प्राप्तांकों के कम में होती है अतः वरि0 का निर्धारण वर्ष 2001 में उसी वैच में चयनित अभ्यर्थिओं के साथ प्राप्तांकों के कम में दी जाय। 2–मा0 उच्च न्यायालय में याचिका सं0–29022/2012, पंकज राव व अन्य न्यायालय में विचाराधीन हैं। याचिका का निर्णय आने तक प्रार्थी की वरि0 घोषित न की जाये। 3–कार्या0 ज्ञा0–389 दि0:16.02.06 में टी0जी0–।। से अवर अभियन्ता पद पर प्रोन्नत अभ्यर्थिओं की वरि0 प्रार्थी के ही वैच के वर्ष 2001 में नियुक्त अभ्यर्थियों के बाद प्रदान की गयी है, इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका विचाराधीन हैं अतः अन्तिम वरि0 सूची न जारी की जाये। 4–कार्या0ज्ञा0–947, दि0:14.02.06 द्वारा प्रार्थी के बाद के चयनित अभ्यर्थिओं को ऊपर रखा हैं। जो कि न्यायोचित नहीं है।	विज्ञापन सं0–03/वि0से0आ0/98 में सीधी भर्ती द्वारा उत्पादन निगम लि0 को आबंटित 155 अवर अभियन्ताओं का परिणाम वर्ष 2000 में घोषित कर नियुक्ति, वर्ष 2001 में की गयी थी जबकि उत्पादन निगम लि0 को आबंटित 153 अवर अभियन्ताओं का परिणाम वर्ष 2006 में घोषित कर नियुक्ति, वर्ष 2006 में हुयी थी। चूंकि आपत्तिकर्ताओं की नियुक्ति 153 अवर अभियन्ताओं के साथ वर्ष 2006 में हुई थी, अतः इनको उस अवधि का किसी प्रकार का भी लाभ नहीं दिया जा सकता है जिस अवधि (2001 से 2006) में वे निगम की सेवा में ही नहीं थे। 1–वर्ष 2001 में आपत्तिकर्ताओं के चयन का न तो परिणाम घोषित किया गया था और न ही वर्ष 2001 में उनकी नियुक्ति की गयी थी। वर्ष 2006 में घोषित चयनित अभ्यर्थियों के परिणाम के अर्न्तगत आपत्तिकर्ताओं की नियुक्ति वर्ष 2006 में की गयी थी। अतः इनकी वरिष्ठता, वर्ष 2006 में नियुक्त किये गये अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) (वै0 एवं यां0) के साथ ही निर्धारित होगी। 2–मा0 उच्च न्यायालय में याचिका सं0–29022/2012, पंकज राव व अन्य न्यायालय में विचाराधीन होने संबन्धी अद्यतन अनुभाग को न तो जानकारी है और न ही वरिष्ठता घोषित न करने लिए मा0 उच्च न्यायालय से कोई स्थगन आदेश प्राप्त हुआ है। 3–अनन्तिम वरिष्ठता सूची मा0 न्यायालय में लम्बित याचिकाओं में मा0 न्यायालय के निर्णय के प्रतिबन्धाधीन ही घोषित की गयी है। 4–आपत्तिकर्ताओं के नियुक्ति आदेश दिनांक–28.04.2006 को जारी हुए थे जबकि आपत्तिकर्ताओं से ऊपर रखे गये अभ्यर्थिओं के नियुक्ति आदेश आपत्तिकर्ताओं से पूर्व दिनांक–14.02.2006 को जारी हो चुके थे।
प्रमोद कुमार, देवांगन पारीछा	मेरी Category, SC की जगह OBC करने का कष्ट करें।	उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार Category, SC की जगह OBC कर दिया गया है।

सूचनीय है, घोषित अनन्तिम वरिष्ठता सूची पर सम्बन्धित कार्मिकों से, दिनांकः 22.09.2012 तक आपत्तियाँ आमंत्रित की गयी थी। आपत्तियाँ प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अवधि के उपरान्त प्रान्तीय महासचिव द्वारा प्राप्त अनूप कुमार का प्रत्यावेदन, विजय प्रकाश गुप्ता, अनूप कुमार वर्मा, रवि गुप्ता, आलोक अस्थाना, अनपरा परियोजना से ऋषि कपूर, सियाराम प्रजापति, नन्दलाल गुप्त, फिरोज अहमद, चन्द प्रकाश, विद्याधर यादव, इरफान अहमद, चन्दीलाल, ओबरा परियोजना से एवं कमल किशोर, पारीछा परियोजना से प्राप्त होने के कारण प्रत्यावेदनों की आपत्तियों को संज्ञान में नहीं लिया गया हैं। निगम के पत्र संख्याः 2876/मा0सं0–03/ उनिलि–5(20) मा0सं0–03/2006, दिनांकः 07.09.2012 द्वारा निर्गत अनन्तिम वरिष्ठता सूची के विरूद्ध दिनांकः 22.09.2012 तक प्राप्त प्रत्यावेदनों को उपरोक्तानुसार निस्तारित/अस्वीकृत किया जाता हैं। अन्य प्रत्यावेदन जो घोषित अनन्तिम वरिष्ठता सूची पर संम्बन्धित कार्मिको से आपत्तियॉ आमंत्रित करने हेतु निर्धारित अवधि अर्थात दिनांक–22.09.2012 के उपरान्त प्राप्त हुये है या प्राप्त होंगे को स्वतः निस्तारित/अस्वीकृत माना गया है/जायेगा।

निदेशक (कार्मिक)

पत्र सं0: 4142–मा0सं0–03/उ0नि0लि0/2012 तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य अभियन्ता, ओबरा/अनपरा/पारीछा/पनकी/हरदुआगंज ताप विद्युत गृह, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, ओबरा/अनपरा (सोनभद्र)/पारीछा (झाँसी) पनकी (कानपुर)/कासिमपुर (अलीगढ़) को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित अवर अभियन्ता (वै0 एवं यॉ0) को इस आदेश की छायाप्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इस आदेश की प्रति उत्पादन निगम लि0 की बेब साइड www.uprvunl.org से डाऊनलोड की जा सकती है।
2. मुख्य अभियन्ता (मानव संसाधन)/(मा0सं0–02/03) उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता, (पीपीएमएम)/(तापीय परिचालन)/(कारपोरेट स्ट्रेटजी) उ0प्र0 राविउनिलि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता, (पर्यावरण एवं सुरक्षा)/(जानपद)/(आर0 एण्ड एम0)/(ईधन)/(वाणिज्य),उनिलि, शक्ति भवन लखनऊ।
5. सचिव, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. उपमहाप्रबन्धक, (01/02/03/04/05/06)/रिफार्म उ0प्र0 राविउनिलि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. मुख्य परियोजना प्रबन्धक(प्रगति परियेजना) उ0नि0लि0 विभूति खण्ड गोमती नगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि संलग्न सूची यथाशीघ्र उ0नि0लि0 की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दें।
8. सहायक अभियन्ता, (डाटा बेस) उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
9. कट फाईल।

आज्ञा से,

(विवेक कुमार)
अधिशासी अभियन्ता (मा0सं0–03)